

(An Institute of National Importance under DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India)

NIDMP/1-50/Debarment/2024-25/2

Date:31.07.2024

निषिद्ध आदेश / Debarment Order

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एसआरजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, फरीदाबाद (GSTIN: 06AAMCS2471E1ZD) जिसका पंजीकृत पता 13ए, सेक्टर-4, फरीदाबाद, फरीदाबाद, हरियाणा, 121004 है, को एतद द्वारा नोटिस के जारी होने की तिथि से 01 (एक) वर्ष की अवधि के दौरान संस्थान की किसी भी प्रकार की क्रय प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।

मेसर्स एसआरजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को यह नोटिस NID MP में केबल ट्रे और सहायक उपकरण की आपूर्ति के कार्य हेतु जारी किए गए GeM अनुबंध आदेश संख्या GEMC-511687714111004 दिनांक 24.05.2024 के संदर्भ में है।

उक्त आदेश अनुबंध संबंधी दायित्वों का पालन न करने और निर्धारित समयाविध के भीतर सामग्री की आपूर्ति करने में विफलता के कारण रद्द कर दिया गया है।

मेसर्स एसआरजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 12 जुलाई 2024 को ई-मेल के माध्यम से उक्त प्रतिबंध/ब्लैकलिस्टिंग के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अवसर दिया गया था; हालांकि, मेसर्स मेसर्स एसआरजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से इस सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं मिला।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है। It is to inform all concerned M/s SRG International Private Limited, Faridabad, (GSTIN: 06AAMCS2471E1ZD) having registered address at 13A, Sector-4, Faridabad, Faridabad, Haryana, 121004 is hereby debarred/ blacklisted and declared not eligible to participate in any procurement process of the institute during a period of 01 (one) year from the date of issue of this notice.

This is in reference to GeM Contract Order No. GEMC-511687714111004 dated 24.05.2024 issued to M/s SRG International Private Limited, Faridabad for Supply of Cable Tray and accessories at NID MP.

The said order has been cancelled due to non-compliance with the contractual obligations and failure to supply the materials within the stipulated delivery period.

M/s SRG International Private Limited was given an opportunity through e-mail dated 12th July 2024 to appeal / represent themselves against the said debarment/blacklisting; however, no response was received from them.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश

प्रतिलिपि:

- 1. निजी सचिव, कार्यवाहक निदेशक, रा.डि.सं.म.प्र.
- 2. संकाय प्रमुख (FS, CD, ID, TAD), रा.डि.सं.म.प्र.
- 3. कार्यवाहक कुलसचिव एवं नियंत्रक वित्त एवं लेखा, रा.डि.सं.म.प्र.
- 4. वरिष्ठ अभियंता (LBM), प्रशासनिक अधिकारी, रा.डि.सं.म.प्र.
- 5. सहायक अभियंता (1T) रा.डि.सं.म.प्र.
- 6. क्रय अनुभाग, रा.डि.सं.म.प्र.

- -सादर सूचनार्थ
- -सादर सूचनार्थ
- -सादर सूचनार्थ
- -सादर सूचनार्थ
- सादर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

